उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–33/2019–20

मो0 सीता देवी एवं अन्य

बनाम्

रामावतार प्र0 राम एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 24/3/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मो0 सीता देवी, पति–स्व0 सीताराम साह वो अरूण कुमार साह, पे0–स्व0 सीताराम साह वो श्रवण कुमार साह, पे0–स्व0 सीताराम साह, सभी साकिनान–पोड़ैयाहाट, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–34/08–09 के आदेश दिनांक–15.10.19 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–34/2008–09 के आदेश दिनांक–15.10.19 के द्वारा अपीलकर्त्तागण को मौजा–पोड़ैयाहाट के जमाबंदी सं0–14, दाग नं0–1610 रकवा 00–01–05 धुर जमीन से खाली करने का आदेश दिया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राम अवतार प्र0 राम एवं स्व0 सीताराम साह दोनों सहोदर भाई है एवं दोनों स्व0 मागन प्र0 साह के पुत्र है। इसी तरह मो0 सीता देवी एवं आशा देवी दोनों पोड़ैयाहाट के हरिहर भगत की पुत्री है। दोनों ही बहने एक दूसरे भाई की पत्नियाँ है। आशा देवी, राम अवतार प्र0 राम की पत्नि है एवं सीता देवी, स्व0 सीताराम साह की पत्नि है। इस प्रकार दोनों भाई है एवं उनकी दोनों पत्नियाँ अपनी बहन है और हिन्दु कानून के अनुसार दोनों का अलग–अलग हिस्सा नहीं हो सकता है। उनका आगे कथन है कि राम अवतार प्र0 राम ने अपने छोटे भाई सीताराम साह, अरूण कुमार साह एवं श्रवण कुमार साह के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में आर0ई0आर0 केश नं0–34/08–09 दायर किया था, जिसे अंततः अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दोनों पक्ष को अपील वादगत जमीन से उच्छेद कर दिया था। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी राम अवतार राम के द्वारा आर0एम0ए0 नं0–22/12–13 दायर किया गया। उक्त अपील वाद में दिनांक–26.12.17 के आदेश के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के वाद को पुनः सुनवाई

हेतु प्रेषित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने गलत तरीके से आदेश पारित कर अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन खाली करने के लिए आदेश दिया गया है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी राम अवतार प्र0 राम भूमिहीन व्यक्ति नहीं है। इसलिए Bihar Privibged Persons Homestead Tenancy Act 1947 के तहत उत्तरवादी प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति के श्रेणी में नहीं आते है। क्योंकि उत्तरवादी को मौजा–1. अमरपुर, थाना–पथरगामा के जमाबंदी सं0–32 के अंदर रकवा 00–08–00 धुर, 2. मौजा–गुणधासा संथाली, थाना–पोड़ैयाहाट के अन्तर्गत रकवा 05–11–11/2 धुर, 3. मौजा–गुणधासा में रकवा 06–08–00 धुर जमीन बंदोवस्ती से प्राप्त एवं 4. मौजा–पोड़ैयाहाट के दाग नं0–1111 में अपना आवासीय मकान है तथा उत्तरवादी का पोड़ैयाहाट सरकारी अस्पताल में सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्रेसर के पद पर कार्यरत थे और अपील वादगत जमीन उनकी नीज जमाबंदी की जमीन नहीं है। बल्कि उक्त जमीन मौजा–पोड़ैयाहाट नं0–121, जमाबंदी सं0–14, दाग नं0–1610 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में खूदीराम दत्ता एवं अन्य के नाम से दर्ज है। इस प्रकार संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत उक्त जमीन अहस्तान्तरीय जमीन है और उक्त जमीन किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उत्तरवादी राम अवतार प्र0 राम स्वयं ही उक्त जमीन में अवैध कब्जा में है। हालांकि उत्तरवादी ने उक्त जमीन वासगीत पर्चा के आधार पर प्राप्त करने का दावा किया गया है। लेकिन चूँकि उत्तरवादी भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं। माननीय न्यायमुर्ति बी0पी0 झा, माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने फैसला सुनाया है(1988 के बी0बी0सी0जे0 के पेज 374 के पारा 6) कि बी0पी0पी0एच0टी0 अधिनियम का अधिकार संथाल परगना में लागु नहीं होता है। उनका आगे कथन है कि आर0ई0आर0 केश नं0–10/2002 में स्वीकार किया गया है कि कटकू साह उर्फ़ हरिहर भगत ने मौजा–पोड़ैयाहाट के दाग नं0–1610 के अन्तर्गत रकवा 00–04–00 धुर जमीन बंदोवस्ती में लिया था एवं दोनों भाईयों द्वारा 22.11.1992 के पारिवारिक व्यवस्था पत्र में स्वीकार किया गया है कि दाग नं0–1610 में कांगेस कार्यालय के दक्षिण तरफ दोनों भाई का मकान है तथा कटकू साह के पुत्री सावित्री देवी, विन्धावासिनी देवी, आशा देवी एवं मो0 सीता देवी के द्वारा भी शपथ पत्र के द्वारा स्वीकार किया गया है कि कांग्रेस कार्यालय के दक्षिण में दोनों पक्षों का मकान है और दिनांक–12.07.88 के पंचनामा में भी स्वीकार किया गया है कि दाग नं0–1610 पर दोनों पक्ष का मकान है। माननीय उच्च न्यायालय के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–4557/93 में आशा देवी के द्वारा स्वीकार किया गया है कि वे वर्ष 1993 से गुणधासा में

रहती है। लेकिन निम्न न्यायालय ने अपने आदेश में उपरोक्त तथ्यों पर अविश्वास करने के लिए न तो विचार किया और न ही किसी कारण का उल्लेख किया। इस प्रकार वासगीत पर्चा नकली है एवं टी0एस0 नं0–85/08 में चुनौती दी गयी है एवं सिविल न्यायालय इस मुदे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए निम्न न्यायालय को इस पर निर्णय देने का कोई अधिकार नहीं था। फिर भी निम्न न्यायालय ने विपरीत आदेश पारित किया है। प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त न्यायालय, दुमका के द्वारा भी टी0एल0 नं0–226/94 में दिनांक–27.01.1994 को आदेश पारित किया गया कि दोनों पक्ष राम अवतार राम एवं सीताराम साह के द्वारा संयुक्त रूप से कुर्फानामा दायर किया है, जो दाग नं0–1610 के रकवा 14 डिसमल जमीन पर 1937 ई0 से दोनों पक्ष के दखल कब्जा को दिखाता है। इस प्रकार दाग नं0–1610 की जमीन पर अपीलकर्त्तागण के पुराने मकान है एवं अपीलकर्त्तागण सपरिवार निवास कर रहे है और चूँकि अपीलकर्त्तागण वर्ष 1937 से ही कब्जा करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने एवं वासगीत पर्चा को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है। अपीलकर्त्तागण की ओर से अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया है।

उत्तरवादी राम अवतार राम के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि चूँकि वर्तमान अपील वाद 60 दिनों से अधिक समय के बाद दायर किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक–16.08.2019 को आदेश पारित किया गया है एवं अपील नवम्बर 2019 में दायर किया गया हैं। इसलिए अपील के परिसीमा के आधार पर अपील आवेदन खारिज करने योग्य है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी का निम्न न्यायालय में मामला यह था कि वह मौजा–पोड़ैयाहाट, जमाबंदी सं0–14, दाग नं0–1610 रकवा 00–03–15 धुर जमीन वासगीत पर्चा केश नं0–01/1986–87 के आदेश दिनांक–15.05.87 के द्वारा प्राप्त किया है एवं तब से वह प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति बन गया है तथा वे तब से उस पर मकान बनाकर निवास कर रहे है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सीताराम साह उत्तरवादी के सहोदर भाई है। कालान्तर में सीताराम साह ने उत्तरवादी से मकान का एक हिस्से किराये पर देने के लिए अनुरोध किया और वादा किया था कि अपने मकान बन जाने पर या दूसरा मकान की व्यवस्था कर लेने पर कुछ महिनों के बाद मकान खाली कर देगें। उत्तरवादी अपने भाई पर विश्वास कर अपने मकान को दो भागों में बाँटकर एक भाग जिसका रकवा 00–01–05 धुर था, अपने भाई सीताराम साह को रहने के लिए दिया। बाद में सीताराम साह ने तय

सीमा में मकान खाली नहीं किया। बल्कि जाली एवं मनगढ़ंत कुर्फा के आधार पर उक्त मकान पर झूठा दावा करना शुरू कर दिया। यह भी सत्य है कि उत्तरवादी की पत्नि एवं स्व0 सीताराम साह की पत्नि आपस में बहने है एवं उनकी और दो बहने है और सभी बहने कटकू साह की पुत्री है। सभी बहनों ने कटकू साह उर्फ हरिहर भगत की जीमन का आपसी बँटवारा कर लिया है। उनका आगे कथन है कि सीताराम साह ने जाली कुर्फा के आधार पर उक्त जमीन पर दावा करना शुरू कर दिया था। इसलिए उत्तरवादी ने सीताराम साह एवं उनके पुत्रों के विरूद्ध आर0ई0आर0 वाद दायर किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने नियम संगत तरीके से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया। लेकिन गलत तरीके से उत्तरवादी को भी उक्त जमीन से उच्छेद किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी के द्वारा इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। इस न्यायालय के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु वापस भेजा गया। प्रतिप्रेषित आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात दिनांक–16.08.2019 को आदेश पारित कर अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन से उच्छेद किया गया है। उनका आगे कथन है कि बंदोवस्त न्यायालय का संदर्भित मामला अभी माननीय आयुक्त के न्यायालय में लंबित है। चूँकि वर्तमान बंदोवस्ती का अभी अंतिम प्रकाशन नहीं हुआ है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त, दुमका के द्वारा कुर्फा की पुष्टि की गयी है। उक्त जमीन उत्तरवादी की स्वयं अधिग्रहित जमीन है। उक्त जमीन पर अपीलकर्त्तागण का कोई हक नहीं है। बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट की धारा 2(1) के अनुसार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति का अर्थ है, जिसके पास अपनी वासभूमि के अलावे कोई अन्य जमीन नहीं है या ऐसी कोई जमीन नहीं जो एक एकड़ से अधिक न हो। चूँकि अपीलकर्त्तागण ने स्वयं स्वीकार किया है कि उत्तरवादी को मात्र आठ कट्ठा जमीन है। वासगीत पर्चा के संबंध में अपीलकर्त्तागण ने 1988 के माननीय उच्च न्यायालय पटना के माननीय न्यायमुर्ति द्वारा तय किये गये एक मामलें को संदर्भित किया है। लेकिन यह कानून उसी माननीय न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार जो पी0एल0जे0आर0 2004(2) पेज 20 में रिपोर्ट किया गया है, के अनुसार इस मामलें में लागू नहीं होगा। चूँकि मौजा–गुणधासा या मौजा–पोड़ैयाहाट को उक्त मकान को छोड़कर अन्य कोई जमीन नहीं है। उत्तरवादी को वासगीत पर्चा प्राप्त है और बी0पी0पी0एच0टी0 अधिनियम की धारा 10 के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को अपने अधिकार को किराये पर देने का अधिकार है। चूँकि निम्न न्यायालय के द्वारा उपरोक्त सारी तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात

आदेश पारित किया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–पोड़ैयाहाट नं0–121, जमाबंदी सं0–14 के अन्तर्गत दाग नं0–1610 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में खुदीराम दत्त के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा उक्त अपील वादगत जमीन कुर्फा बंदोवस्त से प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं उत्तरवादी के द्वारा उक्त जमीन वासगीत पर्चा के आधार पर प्राप्त करने का दावा किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण के द्वारा अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–पोड़ैयाहाट के अन्तर्गत दाग नं0–1111 में उत्तरवादी का अपना आवासीय मकान है एवं उत्तरवादी पोड़ैयाहाट सरकारी अस्पताल में सरकारी कर्मचारी के रूप में ड्रेसर के पद पर कार्यरत था। इस प्रकार उत्तरवादी को वासगीत पर्चा दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। चूँकि यह स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी की जमीन रैयती जमीन है एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत उक्त जमाबंदी की जमीन का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही पक्ष का दावा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत प्रतीत होता है। अतएव ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का दिनांक–19.10.2019 को पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–34/08–09 के आदेश दिनांक–15.10.19 को निरस्त किया जाता है एवं पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा। 24/03/22

उपायुक्त,
गोड्डा। 24/03/22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:29:07 +05:30
Location: 172.21.32.1